सत्यमेव जयते

पंचदश

बिहार विधान-सभा

अष्टम् सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग–1

सोमवार, तिथि 06 फाल्गुन, 1934 (श0) / 25 फरवरी, 2013 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 95

(1) गृह विभाग	.. ..	68
(2) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	.. ..	02
(3) उद्योग विभाग	.. ..	03
(4) वाणिज्य–कर विभाग	.. ..	03
(5) गन्ना उद्योग विभाग	.. ..	02
(6) सांस्थिक वित्त विभाग	.. ..	07
(7) मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	.. ..	02
(8) सामान्य प्रशासन विभाग	.. ..	05
(9) सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग	.. ..	01
(10) वित्त विभाग	.. ..	02
	कुल योग ..	95

कोषागार की स्थापना

*469. डॉ0 दाउद अली—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिलान्तर्गत डुमरांव अनुमंडल में कोषागार कार्यालय की स्थापना इसी वित्तीय वर्ष 2012–13 में होना था, परन्तु 28 जनवरी, 2013 तक कोषागार की स्थापना नहीं की जा सकी है ;

(2) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 में कोषागार की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना भवन का निर्माण

*470. श्री सबा जफर—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत अमौर विधान–सभा के वैसा प्रखंड के अनगढ़ थाना भवनहीन होने के कारण किराया पर चल रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अनगढ़ थाना के भवनहीन रहने के कारण कठिनाइयाँ होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त थाना के भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाम से मुक्ति

*471. डॉ0 अच्युतानन्द—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के महनार बाजार स्थित मदन चौक पर प्रतिदिन घंटों जाम लगने के कारण यात्रियों को काफी कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मदन चौक पर यातायात पुलिस की व्यवस्था नहीं रहने और वाहनों के सड़क पर खड़ा करने के कारण जाम की समस्या उत्पन्न होती है और आम जनता को परेशानी होती है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त स्थल पर यातायात पुलिस की व्यवस्था करके जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक ?

प्रशिक्षण केन्द्र खोलना

*472. श्री सबा जफर—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत अमौर विधान–सभा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है परन्तु अमौर प्रखंड में एक भी अल्पसंख्यक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

थाना से जोड़ना

*473. डॉ0 अब्दुल गफूर---क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अन्तर्गत धौंधेपुर, झारा, ऐना एवं करहारा महिषी थाना के अधीन है जो गाँव से 20-25 कि0मी0 दूर अवस्थित है, जबकि जलई थाना 2 से 5 कि0मी0 की दूरी पर अवस्थित है, यदि हाँ, तो उक्त गाँवों को नजदीक के थाना से नहीं जोड़ने का क्या औचित्य है ?

बैंक खोलना

*474. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह---क्या मंत्री, संस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि---

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला का संग्रामपुर बाजार एवं उसके आस-पास में 50 हजार से अधिक की आबादी है तथा यहाँ पर प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, थाना सहित सभी तरह के प्रखंडस्तरीय कार्यालय अवस्थित हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि संग्रामपुर में कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं रहने से सरकारी कार्य, व्यवसायी वर्ग एवं आमलोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त स्थान पर राष्ट्रीयकृत बैंक खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*475. श्रीमती गुड्डी देवी---क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत नानपुर प्रखंड के पंडोल मजार का कब्रिस्तान एवं इस्लामपुर सवरोली का कब्रिस्तान निर्माण 2 वर्ष पूर्व करना था, लेकिन आजतक कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी करने का विचार रखती है, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बन्दरों से बचाव

"क"-*476. श्री अरूण शंकर प्रसाद---क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी प्रखंड के महिनाथपुर एवं जोकी छतौनी पंचायतों के आम बगीचा में हजारों बन्दरों का जमावड़ा लगा रहता है, यदि हाँ, तो बचाव हेतु सरकार की क्या योजना है ?

"क"---गृह (आरक्षी) विभाग से वन एवं पर्यावरण विभाग को स्थानांतरित।

गाड़ी उपलब्ध कराना

* 477. श्री राजेश्वर राज—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत उग्रवाद प्रभावित संझौली थाना की गाड़ी काफी पुरानी हो जाने से हमेशा खराब रहती है, जिससे विधि व्यवस्था संधारण हेतु गश्ती में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त थानों में नई गाड़ी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

* 478. श्रीमती रंजू गीता—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी प्रखंड के हसनपुर, बड़हड़वा, नानपुर प्रखंड के ददरी, बोखड़ा प्रखंड के बुधनगरा और महिसौथा कब्रिस्तान का घेराबन्दी नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो जनहित में सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवास का निर्माण

* 479. श्री सतीश चन्द्र दूबे—क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नरकटियागंज अनुमंडल स्थापना के वर्षों बीत जाने के बाद भी आजतक अनुमंडल पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारियों के निवास हेतु आवास का निर्माण नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अनुमंडल के पदाधिकारियों के लिये कबतक आवासों का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

मूर्तिकारों को रोजगार

* 480. श्री कृष्णनन्दन यादव—क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के नीमचक बथानी प्रखंड के ग्राम–पत्थरकट्टी से पत्थर शिल्पीकार पलायन कर रहे हैं तथा कुछ शिल्पीकार जो गाँव मे रहते हैं, उनको भुखमरी की स्थिति हो गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि यहाँ सदियों से लोग पत्थर की मूर्ति बनाते आ रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नीमचक बथानी प्रखंड के ग्राम पत्थरकट्टी में पत्थर उद्योग लगाकर पलायन कर रहे मूर्तिकारों को रोजगार देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सब्सिडी का प्रावधान

* 481. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र, पीपरा कोठी में पुसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सी0ओ0 233 गन्ना के बीज को वर्ष 2011–12 मे कृषकों को 300 रु0 प्रति क्विन्टल की दर से देना था जिसमें सब्सिडी के रूप में प्रति क्विंटल 115 रु0 का भी प्रावधान था, जो अभीतक किसानों को अप्राप्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस बार भी सी0ओ0 233 भेराइटी का मूल्य 300 रु0 ही प्रति क्विंटल रखा गया है इस बार वर्ष 2012–13 के लिये सब्सिडी का अभीतक प्रावधान नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या वर्ष 2011–12 के किसानों का सब्सिडी भुगतान तथा वर्ष 2012–13 के लिये सब्सिडी का प्रावधान करने का सरकार विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

* 482. श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव थाना के अकबरपुर में अपराधियों ने निजी साधन तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अन्तर्गत रोपे गए आम, सागवान तथा सहगोनी जैसी बेशकीमती 2000 वृक्षों को दिनाक 07 दिसम्बर, 2012 को काट दिया, जिसके संबंध में कहलगाँव थाना में प्राथमिकी संख्या 407/2012 दर्ज है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कांड के नामजद अभियुक्तों द्वारा सूचक श्री नवरंजन प्रसाद सिन्हा एवं उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके संबंध में नेता विरोधी दल के पत्रांक 09 का0/13, दिनांक 09 जनवरी, 2013 द्वारा पुलिस महानिदेशक, बिहार को जाँचोपरान्त कार्रवाई हेतु पत्र लिखा गया है, यदि हाँ, तो अभियुक्तों के विरुद्ध अभीतक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने का क्या औचित्य है ?

भवन का निर्माण

* 483. श्री अवधेश कुमार राय—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के भगवानपुर थाना भवन के अभाव में प्रखंड के भवन में चल रहा है जिससे पदाधिकारियों एवं कर्मियों को काफी असुविधा हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त थाना भवन का निर्माण करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन की मरम्मती

* 484. श्री तारकिशोर प्रसाद—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार में अवस्थित बी0एम0पी0 7 के बैरक एवं आवासीय परिसर में कालीकृत पथ तथा आवासीय बहुमंजिला भवन जर्जर हो चुका है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त परिसर के जर्जर पथों एवं आवासीय भवन को मरम्मत कराने का इरादा रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नही, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

* 485. श्रीमती गुलजार देवी—क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत फुलपरास अनुमंडल मुख्यालय में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा नही रहने से सरकारी कर्मी, व्यवसायी वर्ग एवं आम नागरिकों को काफी कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 1997–98 में वर्णित मुख्यालय में बैंक शाखा खोलने का निर्णय सरकार ने लिया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त निर्णय को कार्यान्वित करने हेतु कौन–सी कार्रवाई कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

आवास का निर्माण

*486. श्री राजेश्वर राज––क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत उग्रवाद प्रभावित संझौली थाना में बैरेक एवं आवास की सुविधा नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बैरेक एवं आवास के अभाव में पुलिसकर्मी विद्यालय में रहते हैं, जिससे विधि–व्यवस्था संधारण में कठिनाई होती है ;

(3) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा फरवरी, 2012 में स्थानीय एवं वरीय पदाधिकारियों से अनुरोध किये जाने के बावजूद भी आजतक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त थाना में बैरेक एवं आवास का निर्माण कराने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

परीक्षा का आयोजन

*487. श्री दिनकर राम––क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2007 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आशुलिपिकों की भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन–पत्र आमंत्रित किया गया, परन्तु अभीतक जाँच परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है, यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

कानूनी कार्रवाई करना

*488. श्री सुबोध राय––दैनिक समाचार–पत्र दिनांक 26 जनवरी, 2013 में प्रकाशित समाचार शीर्षक "सूचना माँगने पर मिल रही प्रताड़ना" के आलोक में क्या मंत्री, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि सूचना माँगने वाले को गले में तख्ती लगाई जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सूचना माँगने वालों के खिलाफ 10 महीने में 180 मामले दर्ज किये गये हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोषी अफसरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थापित करना

*489. डॉ० अच्युतानन्द––क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के भटनार थाना के अन्तर्गत झुरूकिया चौर के नजदीक एक पुलिस नाका की स्वीकृति 10 वर्ष पूर्व ही की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि 2 वर्षों तक कार्य करने के बाद वहां से पुलिस नाका को हटाकर भटनार थाने में ही अवस्थित कर दिया गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो पुलिस नाका को थाना परिसर में ही स्थापित करने का क्या औचित्य है ?

ओ०पी० खोलना

*490. श्री विनोद कुमार सिंह––क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत आजमनगर प्रखंड के पोली गाँव प० बंगाल राज्य के बोर्डर के नजदीक है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पोली गाँव आजमनगर थाना से 16 कि0मी0 की दूरी पर है और बोर्डर का क्षेत्र होने के कारण अपराधी अपराध कर प0 बंगाल चले जाते हैं और प्रशासन को अपराधियों पर काबू पाने में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पोली गाँव में पुलिस ओ0पी0 खोलने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

गेस्ट हाउस निर्माण करना

* 491. श्री (डॉ0) अरूण कुमार—क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अन्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल में कोई सरकारी निरीक्षण भवन "गेस्ट हाउस" नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अनुमंडल मुख्यालय होने के कारण उच्चाधिकारियों एवं विशिष्ट अतिथियों का आगमन होता रहता है, परन्तु गेस्ट हाउस के अभाव में ठहरने में काफी परेशानी होती है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त अनुमंडल में निरीक्षण भवन हेतु उपयुक्त जमीन उपलब्ध है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अनुमंडल मुख्यालय में सरकारी गेस्ट हाउस निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

* 492. श्री सोनेलाल हेम्ब्रम—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि ग्राम–नवतन टोला पठखोली, थाना नवतन, जिला सीवान के निवासी चन्द्रशेखर पाठक उर्फ गुड्डू पाठक की हत्या दिनांक 26 अप्रैल, 2012 को हो गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि हत्या की प्राथमिकी नवतन थाना के केस सं0 56, दिनांक 26 अप्रैल, 2012 को ही विभिन्न धाराओं में भी केस दर्ज किया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त हत्या के मामले का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त हो गया है, जिसमें गला दबाकर हत्या की पुष्टि की गयी है ;

(4) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हत्यारे की गिरफ्तारी करते हुए लापरवाही बरतनेवाले पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां, तो कबतक ?

थाना का दर्जा देना

* 493. श्री श्याम बिहारी प्रसाद—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत बंजरीया थाना में 12 पंचायत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बंजरीया प्रखंड के 13 पंचायत में से 12 पंचायत बंजरीया थाना में पड़ता है जिसमें बहुत से पंचायत दूर–दराज में है, नदी से घिरे हैं और तूरकौलिया थाना से बहुत दूर है ;

(3) क्या यह बात सही है कि बंजरीया थाना ओ0पी0 है जो तुरकौलिया थाना में पड़ता है और एफ0आई0आर0 तुरकौलिया थाना में दर्ज कराना पड़ता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बंजरीया थाना को पूर्ण दर्जा देने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक खोलना

*494. श्री विनोद प्रसाद यादव—क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत शेरघाटी प्रखंड के ग्राम–उचिरवॉं की आबादी तीन हजार से ज्यादा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गाँव में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं, है, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेरघाटी प्रखंड के ग्राम–उचिरवॉं में बैंकिंग सुविधा हेतु बैंक खोलने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*495. डॉ० अरूण कुमार—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अंतर्गत थाना बलवाहाट ओ०पी० के ग्राम खजुरी के निवासी श्याम मुखिया पिता–शैनी मुखिया की हत्या दिनांक 25 सितम्बर, 2011 को अपराधियों द्वारा गोली मारकर कर दिया गया था, जिससे संबधित काण्ड संख्या 209/11 बलवाहाट ओ०पी० में दर्ज है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा मृतक के आश्रितों को एक लाख रुपया देने की घोषणा किया गया था, जो आजतक नहीं मिला है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मृतक के परिवार के परिजानों को मुआवजा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

केन्द्र खोलना

*496. श्री तारकिशोर प्रसाद—क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि —

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में नगर निकायों के सभी कार्यालय में आर०टी०पी०एस० अन्तर्गत आवेदन–पत्र प्राप्त करने हेतु केन्द्र नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शहरी क्षेत्र के नागरिकों को सदर अंचल कार्यालय में आर०टी०पी०एस० अन्तर्गत आवेदन–पत्र देना पड़ता है जिससे भारी भीड़ के कारण भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नगर निकायों के कार्यालय में आर०टी०पी०एस० केन्द्र प्रारंभ करने का इरादा रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*497. श्री दिनेश कुमार सिंह—क्या मंत्री, वाणिज्य–कर विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में वाणिज्य–कर के कुल आय का 80 प्रतिशत राजस्व राजधानी पटना

के व्यवसायों से प्राप्त होता है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या राज्य सरकार अन्य बड़े शहरों आरा, बक्सर, सासाराम, भभुआ के व्यवसायों से प्राप्त हो रहे वाणिज्य–कर का दायरा बढ़ाने हेतु कौन–सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना भवन का निर्माण

*498. श्रीमती मंजु हजारी—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत शिवाजी नगर थाना का अपना भवन नहीं है और वह सामुदायिक भवन में वर्तमान में लम्बे समय से चल रहा है ;

(2) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एक निश्चित समय–सीमा के अंतर्गत शिवाजी नगर थाना भवन के निर्माण का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*499. श्री (डॉ०) दाउद अली—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिलान्तर्गत डुमरांव में महिला थाना नहीं रहने से महिलाओं को समुचित सुरक्षा एवं न्याय नहीं मिल पाता है, जबकि डुमरांव पुराना थाना स्थित पुलिस चौकी नं० 1 के पास पर्याप्त जगह उपलब्ध है, यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

भवन उपलब्ध कराना

*500. श्री राज कुमार राय—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के गढ़पुरा थाना किराये के भवन में चल रहा है, यदि हां, तो थाना का अपना भवन उपलब्ध कराने हेतु सरकार की क्या योजना है ?

चहारदीवारी का निर्माण

*501. श्री (डॉ०) फैयाज अहमद—क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (नागरिक विमानन) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला मुख्यालय स्थित हवाई अड्डा की चहारदीवारी का निर्माण कार्य वर्ष 2010 में प्रारम्भ हुआ था लेकिन अभीतक पूर्ण नही हो पाया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि चहारदीवारी नहीं रहने के कारण हवाई अड्डा का रनवे आम रास्ता बनकर बर्बाद हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त हवाई अड्डे की चहारदीवारी का निर्माण पूर्ण कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन का औचित्य

*502. श्री वीरेन्द्र सिंह—क्या मंत्री, गृह विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखंड मुख्यालय वजीरगंज में पुलिस उपाधीक्षक का पद का सृजन वजरीगंज कैम्प के नाम से किया जाता है, परतु इस पद के विरुद्ध पदस्थापित पुलिस उपाधीक्षक का पदस्थापन पुलिस अधीक्षक कार्यालय, गया में है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*503. श्रीमती लेशी सिंह—क्या मंत्री, गृह(विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के धमदाहा प्रखंड अधीन कुआंडी कब्रिस्तान, ढोकवा कब्रिस्तान, संरसी कब्रिस्तान, कजरा कब्रिस्तान तथा के० नगर प्रखंड अधीन बखरीकोल कब्रिस्तान, अलीनगर सतकोदरिया कब्रिस्तान में घेराबंदी नहीं हो पायी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कब्रिस्तान घेराबंदी यथाशीघ्र कराने का विचार रखती है ?

पहचान–पत्र बनाना

*504. श्री मंजीत कुमार सिंह—दैनिक समाचार–पत्र में दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 को छपे खबर "जे0पी0 पेंशनधारियों का बनेगा पहचान–पत्र" शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गृह सचिव ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को पत्र लिखकर संसूचित किया था कि जे0पी आन्दोलन में भाग लेने वाले सभी आन्दोलनकारियों/सेनानियों के पहचान–पत्र बनेंगे;

(2) क्या यह बात सही है कि पहचान–पत्र बनाने का काम बेल्ट्रॉन उपक्रम को दिया गया था;

(3) क्या यह बात सही है कि गृह सचिव के द्वारा पेंशनधारियों के पहचान–पत्र बनाने के लिये सभी प्रमंडलों में तिथि तय की गई थी, जिसमें पटना 25–27 दिसम्बर, मगध 21–22 दिसम्बर, मुंगेर 18–19 दिसम्बर, भागलपुर 14–15 दिसम्बर, पूर्णियाँ 11–12 दिसम्बर, सहरसा 7–8 दिसम्बर, दरभंगा 4–5 दिसम्बर, तिरहुत 30 नवम्बर, सारण 22–28 नवम्बर, वर्ष 2012 में समय निर्धारित किये गये थे, लेकिन किसी भी प्रमंडल आयुक्तों के द्वारा जे0पी0 पेंशनधारियों के पहचान–पत्र नहीं बनाये गये;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो पेंशनधारियों का पहचान–पत्र नहीं बनाने का औचित्य क्या है ?

थाना भवन बनाना

*505. श्री विजय कुमार सिन्हा—क्या मंत्री, गृह(आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिलान्तर्गत बड़हिया प्रखंड अन्तर्गत बीरूपुर थाना एक निजी मकान में विगत दस वर्षों से चलाया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त थाना का अपना भवन बनवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नही, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*506. श्रीमती मंजू हजारी—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत प्रखंड मुख्यालय सिंघिया स्थित थाना इस जिले के सबसे पुराने थानों में से एक है परंतु अबतक थाना की चहारदीवारी नहीं बन पाने के कारण यहाँ रखे जाने वाले अस्त्र–शस्त्र सदा असुरक्षित रहते हैं;

(2) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त थाना भवन की चहारदीवारी का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

रुपये खर्च करना

*507. श्री जय कुमार सिंह—क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प्रधान मंत्री स्वरोजगार योजना में 146 करोड रुपये स्वीकृत किये गये, लेकिन महज 5 करोड़ रुपये ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च हो सके हैं, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

बैंक की शाखा स्थापित करना

*508. श्री प्रदीप कुमार—क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत मध्य बिहार बैंक, बिरनामा की शाखा पकरीरावां बाजार में चलती है;

(2) क्या यह बात सही है कि ग्राम पंचायत बिरनामा, बेलड़, सुभानपुर, खखरी इत्यादि प्रखंडों के उपभोक्ताओं को बैंक संबंधित कार्य के लिये 15 कि0मी0 की दूरी तय कर पकरीवरावां जाना पडता है, जिससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानी होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मध्य बिहार बैंक, बिरनामा की शाखा को ग्राम–बिरनामा में स्थापित करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी स्थापित करना

*509. श्री विनोद कुमार सिंह—क्या मंत्री, गृह(विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत आजमनगर प्रखंड के खरसौता एक उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है;

(2) क्या यह बात सही है कि खरसौता पंचायत से आजमनगर थान की दूरी 15 कि0मी0 है जिसमें प्रशासन को अपराधियों पर काबू रखने में कठिनाई होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खरसौता में पुलिस चौकी स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी करना

*510. श्री (मो०) आफाक आलम--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिलान्तर्गत लालगढ़ प्रखंड के जलालगढ़ पंचायत के बस स्टेशन से पूरब एवं उत्तर स्थित खलीफा टोला का कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं किया गया है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस नाका स्थापित करना

*511. श्री पदम पराग राय वेणु--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के फारबिसगंज प्रखंडान्तर्गत हरिपुर ग्राम में पुलिस नाका अभीतक नहीं बना है जबकि यह क्षेत्र नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि हरिपुर ग्राम से थाना की दूरी लगभग 12 कि०मी० है;

(3) यदि खंड (1) और (2) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक हरिपुर ग्राम में पुलिस नाका स्थापित करना चाहती है ?

कार्रवाई करना

*512. श्री मंजीत कुमार सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जयप्रकाश आन्दोलन एवं डी०आई०आर० के अन्तर्गत 18 मार्च, 1974 से लेकर 20 मार्च, 1977 तक गोपालगंज कारा में बन्द बन्दियों का कारा में अभिलेख अप्राप्त होने के कारण जे०पी० आन्दोलनकारियों को मासिक सम्मान पेंशन के लाभ से वंचित रखा गया है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो जे०पी० आन्दोलन में कारा में बन्दियों को सम्मान पेंशन देते हुए अभिलेख गुम करने वाले दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है ?

गाड़ी की व्यवस्था

*513. श्री नीरज कुमार ''बबलू''--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड में एक भी स्थाई अग्निशामक गाड़ी नहीं है, यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

कब्जा से मुक्त

*514. श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत बतख मियां अंसारी मेमोरियल पुस्तकालय, छतौनी का भवन सी०आर०पी०एफ० द्वारा वर्ष 2011 से कब्जा कर लिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पुस्तकालय के परिसर में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण हुआ है, परन्तु उक्त कब्जा के कारण अल्पसंख्यक छात्र नहीं रह रहे हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पुस्तकालय को सी०आर०पी०एफ० के कब्जे से मुक्त कराने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*515. श्री जावेद एकबाल अंसारी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बांका जिलान्तर्गत बाराहार प्रखंड का पंचवारा थाना विगत तीस वर्षों से किराये के भवन में चल रहा है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त थाना भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बंद रहने का औचित्य

*516. श्री अरूण शंकर प्रसाद--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 26 नवम्बर, 2012 को प्रकाशित शीर्षक ''उत्तर बिहार में काम नहीं कर रहा है 100 नवम्बर'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के किसी भी जिले में इमरजेन्सी सेवा का नम्बर 100 काम नहीं कर रहा है, घटना या दुर्घटना के शिकार होने पर पीड़ितों द्वारा यह नम्बर डायल करने पर कार्यरत नहीं पाया जाता है;

(2) क्या यह बात सही है कि आम लोगों की सुविधा एवं अपराध नियंत्रण के लिए 100 नम्बर की सेवा प्रारम्भ की गई थी, परन्तु उत्तर बिहार में इसके काम नहीं करने से आमलोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो इस इमरजेन्सी सेवा के नम्बर बन्द रहने का क्या औचित्य है ?

पुलिस चौकी खोलना

*517. श्री विनय बिहारी--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिलान्तर्गत योगापट्टी प्रखंड अन्तर्गत नवलपुर थाना से दूर गंडक नदी के पार जहां हजारों आबादी निवास करती है, वहांपर आसानी से पहुँचा नहीं जा सकता है;

(2) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गंडक दियारा के निवासियों के सुरक्षार्थ वहांपर पुलिस चौकी खोलने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक शाखा खोलना

*518. श्री इजहार अहमद--क्या मंत्री, वित्त सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत गौड़ा बौड़ाम प्रखंड में लाखों की आबादी है;

(2) क्या यह बात सही है कि गौड़ा बौड़ाम प्रखंड में एक भी राष्ट्रीय बैंक की शाखा नहीं है;

(3) क्या यह बात सही है कि पंचायत दक्षिणी कसड़ोड़ (कुनौनी चौक) एक ग्रामीण बाजार के रूप में विकसित है;

(4) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कुनौनी चौक प्रखंड गौड़ा बौड़ाम पर राष्टीयकृत बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सुनिश्चित करना

*519. श्री वीरेन्द्र सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि आकाश कुमार, पिता-श्री गोपाल प्रसाद, ग्राम-जनकपुर, थाना-गया मुफस्सिल, दिनांक 12 अगस्त, 2012 से लापता है, जिसकी प्राथमिकी गया मुफस्सिल थाना काण्ड संख्या 268/2012 के तहत दर्ज हुयी है;

(2) क्या यह बात सही है कि पाँच माह बीत जाने के बावजूद अभीतक लापता लड़के की बरामदगी स्थानीय पुलिस नहीं कर पायी है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लापता लड़के की शीघ्र बरामदगी सुनिश्चित करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*520. श्री पदम पराग राय वेणु--क्या मंत्री, कारा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के फारबिसगंज अनुमण्डल में अभीतक जेल का निर्माण नहीं कराया गया है, जबकि इसे अनुमण्डल बने कई वर्ष हो चुके हैं, यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

कब्रिस्तानों की घेराबन्दी

*521. श्री जनक सिंह--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने कब्रिस्तानों की घेराबन्दी करने का निर्णय वर्ष 2006 में लिया है;

(2) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत इसुआपुर प्रखण्ड के टेढ़ा, गोढ़ा, डोइला, अचितपुर तथा तरैया प्रखण्ड के गबन्दी, साहनवाजपुर, चंचालिया, नन्दनपुर, फरिदनपुर, हरदास चक और पानापुर प्रखण्ड के मुड़वा तुर्की, महम्मदपुर, रसौली, भोरहा एवं सोनवर्षा गाँव स्थित कब्रिस्तानों की घेराबन्दी नहीं की गई है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबतक उक्त कब्रिस्तानों की घेराबन्दी करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

केन्द्रों को चालू कराना

*522. श्री (ई०) अजीत कुमार--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2006 में मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत कांटी प्रखण्ड के साईन सेतिहारी एवं किशु नगर में रीगा चीनी मिल द्वारा गन्ना उत्पादक किसानों के लिये दो गन्ना तौल केन्द्र खोला गया था जिसे मिल प्रबंधक द्वारा मार्च, 2012 से बन्द कर दिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के नये गन्ना नीति से प्रभावित होकर मुजफ्फरपुर के कांटी, मरवन, मोतीपुर, मीनापुर, सरैया प्रखण्ड के गन्ना उत्पादक किसानों द्वारा 50,000 हेक्टेयर जमीन पर गन्ना का खेती किया गया है, लेकिन तौल केन्द्र बन्द होने से किसानों के समक्ष गन्ना बिक्री करना एक समस्या बन गई है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जनहित में कबतक उन बन्द पड़े गन्ना तौल केन्द्रों को चालू कराकर गन्ना खरीदगी कार्य करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

*523. श्रीमती पूनम देवी यादव--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला उद्योग केन्द्र में महाप्रबंधक का पद विगत 2 वर्षों से रिक्त है, यदि हां, तो क्या सरकार वहाँ महाप्रबंधक का पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिमा स्थापित करना

*524. श्रीमती मुन्नी देवी--क्या मंत्री, मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विभाग के उप-सचिव के पत्रांक 136, दिनांक 8 फरवरी, 2010 द्वारा भोजपुर जिला के प्रखण्ड बिहियाँ अन्तर्गत स्व० बिन्देश्वरी दुबे, पूर्व मुख्य मंत्री, बिहार की प्रतिमा स्थापित करने हेतु भूमि बन्दोबस्ती का प्रस्ताव जिला पदाधिकारी, भोजपुर से माँगा गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक 1314/सा०, दिनांक 7 मई, 2012 द्वारा भूमि बन्दोबस्ती संबंधित अभिलेख अनुशंसा के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु विभाग को उपलब्ध कराने के बावजूद आजतक प्रतिमा स्थापित नहीं किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो कबतक सरकार जिला पदाधिकारी द्वारा अनुशंसित भूमि पर प्रतिमा स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*525. श्री कृष्णनन्दन यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय कारा, गया में सभी कैदियों को रहने के लिये कमरा नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय कारा, गया में क्षमता से अधिक कैदी रहने से कैदियों को रहने में बहुत परेशानी होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार केन्द्रीय कारा, गया में कैदियों को रखने के लिये अतिरिक्त कारा भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबन्दी

*526. श्री गोपालजी ठाकुर--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत बेनीपुर प्रखण्ड के बसुहाम, काजियाना, भलील, हनुमाननगर, बेनीपुर पश्चिमी, मझौड़ा, आशापुर, इमामबाड़ा, फरदाहा, देवराम, अमैठी, कोठवन्ना, रढ़ियाम, बलहा, कठवासा बहेड़ी प्रखण्ड के हावीडीह मध्य, हावीडीह दक्षिणी, इनाई एवं बिरौल प्रखण्ड के नूनूकला बधौनी, कोयलाजान, मिर्जापुर, जय किसनपुर, भजरगाही कब्रिस्तानों की घेराबन्दी नहीं की गई है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में स्थित कब्रिस्तानों की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का अभाव

*527. श्री अवधेश कुमार राय--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के मनसूरचक थाना भवन के अभाव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन में संचालित हो रहा है, यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

भवन का निर्माण

*528. श्री रामनरेश प्रसाद यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के बेला थाना परिसर में पुलिस पदाधिकारी एवं सिपाहियों के रहने के लिए भवन नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बेला थाना परिसर में आवासीय भवन निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*529. श्री श्यामदेव पासवान--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत टनकुप्पा प्रखंड अतिउग्रवादित क्षेत्र में थाना भवन नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस कारण पुलिस असुरक्षित रहते हैं ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार थाना का भवन बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मोटर लाँच का मरम्मत

*530. श्री अरूण कुमार सिन्हा--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना पुलिस के दो मोटर लाँच में से एक छः माह से खराब है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसे मरम्मत कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*531. श्री रतनेश सादा--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखंड के काशनगर थाना काशनगर बाजार में भाड़े के मकान में चलता है, यदि हाँ, तो थाना का अपना भवन हेतु सरकार की क्या योजना है ?

सवारी मुहैया कराना

*532. श्री कुमार शैलेन्द्र--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत पुलिस जिला नवगछिया में आरक्षी की कमी एवं साधनहीनता के कारण अपराध नियंत्रण में काफी कठिनाई हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि खरीफ, बिहपुर, झंडापुर एवं भवानीपुर में केवल एक-एक पुरानी जीप से कोशी दियारा एवं गंगा दियारा के क्षेत्र में कानून-व्यवस्था में काफी कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त थानों में अपराध नियंत्रण के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिसकर्मी एवं आधुनिक सवारी मुहैया कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्पेशल कोर्ट बनाना

*533. श्री अख्तरूल ईमान--दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 को स्थानीय समाचार-पत्र में प्रकाशित शीर्षक ''महिलाओं के लिए स्पेशल कोर्ट की जरूरत'' के आलोक में क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2012 में राज्य के विभिन्न जिलों में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की लगभग 800 घटनाएँ हुई हैं, जिसमें सबसे अधिक कटिहार में 66, अररिया में 49, पटना में 40 मामले दर्ज किये गये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों की सुनवाई के लिए राज्य में अलग से एक भी स्पेशल कोर्ट नहीं है, जिस कारण मामलों की त्वरित सुनवाई नहीं हो पाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रत्येक जिला में महिलाओं के लिए स्पेशल कोर्ट स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वस्त्र निर्माण कराना

*534. श्री वीरेन्द्र सिंह--क्या मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वाणिज्य-कर विभाग द्वारा सूती एवं सिल्क धागा को वैट मुक्त घोषित कर दिया गया है, जबकि पौलिस्टर धागा पर अभी भी 4 प्रतिशत का वैट दर लगा हुआ है, जिससे राज्य में पौलिस्टर धागा का उपयोग वस्त्र निर्माण में नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

भवन का निर्माण

*535. श्री विजय कुमार सिन्हा--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिलान्तर्गत रामगढ़ चौक थाना विगत 10 वर्षों से रामगढ़ प्रखंड कार्यालय के भवन में चल रहा है जिससे प्रखंड का कार्य प्रभावित हो रहा है, यदि हाँ, तो उक्त थाना भवन निर्माण हेतु सरकार की क्या योजना है ?

गाड़ी उपलब्ध कराना

*536. श्री राम प्रवेश राय--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली तथा मांझा थाना में कोई सरकारी गाड़ी नहीं है, जिसके कारण इन थानों के पुलिसकर्मियों द्वारा गश्ती कार्य बाधित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दोनों थानों में एक-एक गाड़ी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*537. श्रीमती उषा सिन्हा--क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत थरथरी प्रखण्ड में कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि स्थानीय व्यवसायियों एवं किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं रहने से काफी कठिनाई होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त प्रखण्ड में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोलवाने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना खोलना

*538. डॉ० इजहार अहमद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के भौगोलिक यातायात एवं प्रशासनिक दृष्टि से घनश्यामपुर एवं जमालपुर थाना काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है;

(2) क्या यह बात सही है कि घनश्यामपुर और जमालपुर थाना के बीच 50 कि०मी० का अंतर है, जिस कारण से कोई भी घटना होने पर प्रशासन को स्थिति पर काबू पाने में काफी दिक्कत होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में घनश्यामपुर एवं जमालपुर थाना क्षेत्र को काटकर बरगाँव मनसारा ओ०पी० को थाना में परिवर्तित करते हुए दक्षिणी कसड़ौड़ पंचायत कुनौनी चौक में अलग थाना खोलने की विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक और नहीं, तो क्यों है ?

क़ब्रिस्तान का घेराबन्दी

*539. श्री प्रदीप कुमार --क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत वारिसलीगंज प्रखण्ड के ग्राम पंचायत-अपसढ के ग्राम-जमुआवां में कब्रिस्तान की घराबन्दी नहीं हुई है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ने ग्राम जमुआवां के कब्रिस्तान की घेराबन्दी करवाने की विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

-----/-----

विशेष गाँव का दर्जा

*540. श्री जय कुमार सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लोक नायक जय प्रकाश नारायण की जन्म स्थली सिताब दियारा गाँव एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में है;

(2) क्या यह बात सही है कि इस गँव का सरयू नदी से तेजी से कटाव हो रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सिताब दियारा को विशेष गाँव का दर्जा देकर विकसित गाँव बनाना चाहती है, यदि हां, तो कबतक ?

थाना भवन का निर्माण

*541. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर विधान-सभा क्षेत्र में खैरा थाना एवं नरारी थाना का अपना भवन नहीं है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त दोनों थाना के लिए अपना भवन बनाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक ?

कब्रिस्तानों की घेराबन्दी

*542. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत फुलपरास, घोघरडीहा एवं मधेपुरा प्रखण्ड स्थित निम्नलिखित गाँवों के कब्रिस्तान यथा-पकड़िया (गोढ़ियारी, हरियरी अमौजा, सिजौलिया बजराहा टोल, डेवढ़, चिकना इस्लामपुर, शत्रुपट्टी, भेजा, बरसाम, रहुआ संग्राम, असुरगढ़, गोबरगढ़ा, बलथी की घेराबन्दी नहीं की गई है, जबकि उपरोक्त कब्रिस्तान संवेदनशील जगहों पर अवस्थित है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबन्दी करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबन्दी

*543. श्री महेन्द्र बैठा--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत पातेपुर प्रखण्ड के तेजपुर पंचायत के मैदा चैयतपुर, सिमरबारा पंचायत नेनिमारूआरी, बुजुर्ग पंचायत के मौठदोडीह एवं दरूआ कब्रिस्तान की घेराबन्दी आजतक नहीं किया गया है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबन्दी करने का विचार रखती है, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*544. श्री विनय बिहारी--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिलान्तर्गत योगापट्टी एवं लौरिया थाना में चहारदीवारी नहीं रहने के कारण थाना में कार्यरत कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को कठिनाई होती है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त थाना परिसर की चहारदीवारी कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदों पर भर्ती

*545. श्री संजय सरावगी--क्या मंत्री, गृह (कारा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार ने सहायक जेलर की नियुक्ति के लिए नयी नियमावली बनाई है जिसके तहत् 50 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति सीधे कर्मचारी चयन आयोग से, 30 प्रतिशत पद पर पूर्व सैनिक और 20 प्रतिशत पद प्रोन्नति से भरे जायेंगे;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार राज्य में रिक्त सहायक जेलर के सभी पदों को भरने के लिए कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

पुलिस चौकी खोलना

*546. श्री कुमार शैलेन्द्र—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखंड के गोविन्दपुर, मुसहरी, कहारपुर, बड़ी खाल, आहुती ग्राम प्रखंड मुख्यालय से कोशी नदी के पार रहने के कारण प्रशासन को विधि-व्यवस्था के नियंत्रण में काफी कठिनाई होती है;

(2) क्या यह बात सही है कि कोशी नदी के पार हजारों एकड़ जमीन पर अपराधियों का अधिपत्य रहने के कारण किसान अपना फसल नहीं ला पाता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कहारपुर गाँव में हजारों किसानों के हित को देखते हुए पुलिस चौकी खोलना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्यालय खोलना

*547. श्री जनक सिंह—क्या मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत मढ़ौरा अनुमंडल मुख्यालय बने 21 वर्ष बीत जाने के बाद भी मढ़ौरा मुख्यालय में वाणिज्य-कर कार्यालय नहीं होने के कारण दूर-दराज के लोगों एवं व्यापारियों को टैक्स जमा करने के लिए 40 से 50 कि०मी० दूर छपरा आना-जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार मढ़ौरा अनुमंडल मुख्यालय में वाणिज्य-कर विभाग का कार्यालय खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

*548. श्री संजय सरावगी—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सैन्य पुलिस 13 के विज्ञापन संख्या 02/2010 के तहत ट्रेड रैंक सिपाही तथा बिगुलर सिपाही, मोची सिपाही आदि को नियुक्ति के लिए रिक्तियाँ अधिसूचित की गई थी, जिसकी चयन प्रक्रिया 20 दिसम्बर, 2010 को पूरी की गई;

(2) क्या यह बात सही है कि बिगुलरों की नियुक्ति प्रक्रिया के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों के आलोक में पुलिस महानिदेशक, बिहार के 30 दिसम्बर, 2010 के आदेश के अनुपालन में पुलिस महानिरीक्षक, बिहार सैन्य पुलिस ने अपने पत्रांक 07 (गो०), दिनांक 12 जनवरी, 2011 द्वारा नियुक्त बिगुलर सिपाहियों को असफल और परिवादी अभ्यर्थियों को नियुक्ति योग्य माना है;

(3) यदि उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पुलिस महानिरीक्षक (बिहार सैन्य पुलिस) के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में परिवादी अभ्यर्थियों को बिगुलर सिपाही के पद पर बहाल करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक खोलना

*549. श्री विनोद प्रसाद यादव—क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत आमस प्रखंड के ग्राम-सिहुली की आबादी तीन हजार से ज्यादा है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गाँव में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी कठिनाई होती है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आमस प्रखंड के ग्राम-सिहुली में बैंकिंग सुविधा हेतु बैंक खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*550. मो० आफाक आलम—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत श्रीनगर प्रखंड के वैद्यनाथ नगर रोड नम्बर 10 के पूरब में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कबतक इसे कराने का विचार रखती है ?

भवनों की मरम्मती

*551. श्री अशोक कुमार—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत वारिसनगर थाना भवन एवं इस परिसर स्थित आवासीय क्वार्टर जर्जर हो गये हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार इन जर्जर पड़े हुए भवनों की मरम्मती कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक ?

अग्निशामक देना

*552. श्री महेन्द्र बैठा—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत पातेपुर प्रखंड एवं जन्दाहा प्रखंड मुख्यालय में अग्निशामक यंत्र नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला मुख्यालय से प्रखंड की दूरी 50 किलो मीटर होने के कारण आगलगी के समय उक्त प्रखंड तक अग्निशाम पहुँचने में अधिक समय लगने के कारण आगलगी पर काबू पाने में कठिनाई होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड मुख्यालयों में अग्निशामक केन्द्र खोलने का विचार रखती है, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वेतनमान परिवर्तित करना

*553. श्री अख्तरूल इसलाम शाहीन—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 622 (अ), दिनांक 29 अगस्त, 2008 के आलोक में भारत सरकार के स्वास्थ्य परिदर्शकों का वेतनमान 4000-6000, ग्रेड वेतन 2400 रु० को दिनांक 1 जनवरी, 2006 के प्रभाव से वेतनमान 4500-7000, ग्रेड वेतन 2800 रु० में परिवर्तित कर दिया गया है, लेकिन राज्य सरकार के समान स्तर के यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शकों का वेतनमान 4000-6000, ग्रेड वेतन 2400 को ज्यों-का-त्यों छोड़ दिया गया है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो राज्य के यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शकों का वेतनमान 4000-6000 रु०, ग्रेड वेतन 2400 रु० को दिनांक 1 जनवरी, 2006 के प्रभाव से वेतनमान 4500-7000 रु०, ग्रेड वेतन 2800 रु० में परिवर्तित नहीं करने का क्या औचित्य है तथा सरकार कब से इसे लागू करने का विचार रखती है ?

छात्रावास का निर्माण

*554. डॉ० अब्दुल गफूर—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास बनाने का निर्णय वर्ष 1998 में लिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार के मात्र 15 जिलों में अबतक अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास का निर्माण हुआ है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेष 23 जिलों में कबतक अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास का निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अग्निशामक यंत्र स्थापित करना

*555. श्री राजेश सिंह—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिला के धनाहा प्रखंड में अग्निशामक यंत्र नहीं है, यदि हां, तो सरकार उक्त प्रखंड में अग्निशामक यंत्र स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

महिला आरक्षी की नियुक्ति

*556. श्री पवन कुमार जायसवाल—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा, आत्मविश्वास एवं महिला अपराधी के मामले को सुलझाने में महिला पुलिसकर्मी की नियुक्ति विभाग द्वारा की जाती है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में महिला पुलिसकर्मी की संख्या नगण्य है और कुल पुलिस बल का एक प्रतिशत से भी कम है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य की आधी महिला आबादी की सुरक्षा, आत्मविश्वास एवं उनके सम्मान के लिए समानुपातिक आधार पर कुल पुलिस बल का कम-से-कम 33 प्रतिशत रिक्तियाँ महिलाओं के लिए आरक्षित कर उसपर महिला आरक्षी की नियुक्ति करने का विचार रखती है , यदि हां, तो कबतक और नहीं, तो क्यों नहीं ?

कब्रिस्तानों की घेराबन्दी

*557. श्री अम्बिका सिंह—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के दुर्गावती प्रखंड के खिछियाँ, सरैया, अशोगा, महमुदगंज तथा नुआंव प्रखंड के भुगनपुर गाँवों के कब्रिस्तान की चहारदीवारी निर्माण नहीं हुआ है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उपर्युक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक और नहीं, तो क्यों नहीं ?

आश्रितों को मुआवजा

*558. श्री अवनीश कुमार सिंह—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार के परिपत्र सं0 1838, दिनांक 17 फरवरी, 2000 तथा परिपत्र सं0 13786, दिनांक 20 दिसम्बर, 2012 के आलोक में उग्रवादी घटनाओं में मारे जाने पर मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2002 से पूर्वी चम्पारण के पताही एवं चिरैया प्रखंडों में एक दर्जन से अधिक उग्रवादी घटनाओं में मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों को तथा वर्ष 2005 में जहानाबाद जेल ब्रेक कांड कर जेल से ले जाकर हत्या किये गये स्व0 बड़े शर्मा एवं अन्य मृतकों के आश्रितों को अभीतक देय मुआवजा नहीं दिया गया है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उग्रवादी घटना में मारे गये सभी व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा देने का विचार रखती है ?

स्वीकृत पद पर पदस्थापना

*559. श्रीमती पूनम देवी यादव—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला मुख्यालय में 26 जनवरी, 2012 से एक महिला थाना कार्य कर रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त महिला थाना में तीन अवर निरीक्षक, दो सहायक अवर निरीक्षक, दो हवलदार और आठ महिला सिपाही के पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में मात्र अवर निरीक्षक, एक सहायक अवर निरीक्षक, एक हवलदार तथा चार महिला सिपाही ही यहाँ तैनात किये गये हैं;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त महिला थाना में एक वर्ष बाद भी वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त थाना में वाहन उपलब्ध कराने के साथ ही स्वीकृत पद के विरुद्ध पदस्थापन करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

रिपोर्ट भेजना

*560. श्री रामधनी सिंह—क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में माली (मालाकार) कुम्हार, केवट, बिन्द, गड़ेरी जातियों के संबंध में 1981 में कृष्ण मेनन, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा बिहार सरकार से एस0सी0/एस0टी0 की सूची में शामिल करने के विषय पर विचार हेतु इथनोग्राफिक रिपोर्ट के साथ अनुशंसा माँगी थी;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा उपरोक्त जातियों का केन्द्र को इथनोग्राफिक रिपोर्ट आजतक नहीं भेजी गई है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऊपर वर्णित जातियों का इथनोग्राफिक रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजने का विचार रखती है, हां, तो कबतक ?

भवन का निर्माण

*561. श्री अशोक कुमार—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत हथौड़ी थाना एवं शिवाजीनगर ओ0पी0 भवनविहीन है, यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में इन भवनहीन थानाओं में भवनों का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक ?

आदेश-पत्र देना

*562. श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के किसी भी जिला से मंत्री के अनुशंसा के आलोक में विशेष शाखा के माध्यम से अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति करने का प्रावधान है;

(2) क्या यह बात सही है कि मुख्यालय से 12 कि0मी0 की परिधि से बाहर प्रतिनियुक्त पुलिस कर्मी को भोज्य भत्ता देय है;

(3) क्या यह बात सही है कि जिला बल से विशेष शाखा में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी/कर्मी को छ: माह की अवधि पूर्ण होने के बाद सम्बंधित जिला से फ्रेश कमान प्राप्त करने हेतु आदेश-पत्र नहीं दिया जाता है जिससे प्रतिनियुक्त कर्मी को भोज्य भत्ता समाप्त हो जाता है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिला बल से विशेष शाखा में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी/कर्मी को प्रत्येक छ: माह पर फ्रेश कमान प्राप्त करने हेतु आदेश-पत्र देने की नियमित व्यवस्था करने का प्रावधान करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबन्दी

*563. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत बारुन प्रखण्ड के धमनी पंचायत अन्तर्गत ग्राम शेखपुरा, धमनी एवं विशुनपुर में कब्रिस्तान का घेराबन्दी नहीं हुआ है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान का घेराबन्दी कराने का विचार रखती है ?

पटना :
दिनांक 25 फरवरी, 2013 (ई0)।

फूल झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा।

बि0 स0 मु0 (एल0ए0) 214 डी0टी0पी0--450